रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022024-251697
CG-DL-E-01022024-251697

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2024/माघ 11, 1945
No. 74] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2024/MAGHA 11, 1945

IndiaCode

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2024

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.110.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, और धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 की प्रथम अनुसूची में,

(i) खंड 22 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"22क. कोई दिवाला व्यावसायिक, यथास्थिति, किसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में लेनदारों की समिति, समापन प्रक्रिया में परामर्श समिति, कारपोरेट ऋणी के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाता की दिवाला समाधान प्रक्रिया में ऋणी या लेनदार की सिफारिश पर, और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, असाइनमेंट से त्यागपत्र दे सकेगा।

स्पष्टीकरण – दिवाला व्यावसायिक, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र का अनुमोदन किए जाने तक अपने कर्तव्यों, कृत्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता रहेगा ।"

(ii) खंड 23ख में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण.–** इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसा दिवाला व्यावसायिक, जो एक दिवाला व्यावसायिक संस्था है, ऋणी के मूल्यांकन और लेखापरीक्षा से संबंधित कार्य से भिन्न, अपनी किसी असाइनमेंट से संबंधित किसी कार्य के लिए या उसके संबंध में, यथास्थिति, अपने भागीदार या निदेशक लगा सकेगा या नियुक्त कर सकेगा ।"

(iii) खंड 23ग में, स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण 2.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसा दिवाला व्यावसायिक, जो एक दिवाला व्यावसायिक संस्था है, ऐसे असाइनमेंट के लिए या उसके संबंध में, जो उसके, यथास्थिति, भागीदारों या निदेशकों द्वारा किया जा रहा है, मूल्यांकन और लेखापरीक्षा से संबंधित सेवा से भिन्न कोई सेवा प्रदान कर सकेगा ।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./728/2023-24]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 424, तारीख 23 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.003, तारीख 23 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 643, तारीख 18 सितम्बर, 2023 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.104, तारीख 18 सितम्बर, 2023 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 द्वारा किए गए ।

IndiaCode

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2024

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2024

No. IBBI/2023-24/GN/REG 110.—In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (t) of sub-section (1) of section 196, section 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, in First Schedule,

(i) after clause 22, the following clause shall be inserted, namely: -

"22A. An insolvency professional may resign from the assignment, subject to the recommendation of the committee of creditors in a corporate insolvency resolution process, consultation committee in liquidation process, the debtor or the creditor in the insolvency resolution process of personal guarantor to the corporate debtor, as the case may be, and the approval of the Adjudicating Authority.

Explanation.- The insolvency professional shall continue to discharge his duties, functions and responsibilities till the approval of resignation by the Adjudicating Authority."

(ii) in clause 23B, the following Explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation.- For the purposes of this clause, the insolvency professional which is an insolvency professional entity may engage or appoint its partners or directors, as the case may be, for or in connection with any work relating to any of its assignment other than work related to valuation and audit of the debtor."

(iii) in clause 23C, the Explanation shall be renumbered as Explanation 1, and after Explanation 1 so renumbered, the following Explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation 2.- For the purposes of this clause, the insolvency professional which is an insolvency professional entity may provide any service, other than service related to valuation and audit, for or in connection with the assignment which is being undertaken by any of its partners or directors, as the case may be."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./728/2023-24]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG003 dated 23rd November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 424 on 23rd November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2023 published *vide* notification No. IBBI/2023-24/GN/REG104, dated 18th September, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 643 on 18th September, 2023.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.02.01 18:16:43 +05'30'